

RR No. 1291
21-9-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16.9.2011

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की पात्रतानुसार आवंटित एफ श्रेणी राजकीय आवास के स्थान पर उनकी वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित एफ स्वतंत्र श्रेणी आवास नियमानुसार किराये पर पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्वारा परिवर्तित/आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा कार्यालय सहायक अति० महानिदेशक आर्म्ड पुलिस मुख्यालय, जयपुर	एफ-42 गॉधीनगर (4/29 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.3.2021	220
2	श्री भगवती प्रसाद शर्मा वरिष्ठ लिपिक पंचायतीराज विभाग, जयपुर	एफ-69 गॉधीनगर (4/96 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.12.2020	222
3	श्रीमती रचना तिवारी व्याख्याता संस्कृत शहीद अभय पारीक राज. बा. उ. मा. विद्यालय, जयपुर	एफ-70 गॉधीनगर (4/48 गॉधीनगर के स्थान पर)	30.6.2034	224
4	श्री अनिल कुमार माथुर वरिष्ठ लिपिक साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर	एफ-176 गॉधीनगर (4/97 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.10.2025	225
5	श्री उमराव भीणा नर्स ग्रेड-1 सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-181 गॉधीनगर (4/42 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.12.2036	227

Orc (web.)
A
21-9-2011
Shri
22/9/11
Dm (A)

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा/साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. पुलिस उपायुक्त (मु०), जयपुर।
5. शहीद ले० अभय पारीक राज० बा० उ० मा० विद्यालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
9. अधिशाषी आीयन्ता, सा० नि० विभाग/जन स्वा० अभि० विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० गॉधीनगर,, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
11. सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा किराया वसूलनीय होगा।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव